



Neutral Citation No.- 2026:AHC:57982

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या - 4437 वर्ष 2026

विपिन और एक अन्य

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	राम राज पांडे, शुभम पांडे
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
2. वर्तमान 528 बीएनएसएस आवेदन विद्वान सिविल जज जूनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट/न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2, बुलंदशहर द्वारा दिनांक 26.11.2022 को पारित समन आदेश को रद्द करने के साथ-साथ परिवाद मामला संख्या 447 वर्ष 2022, अंतर्गत धारा 498ए, 323 आई.पी.सी. और धारा 3/4 डी.पी. एक्ट, पुलिस स्टेशन महिला थाना, जिला बुलंदशहर (श्रीमती रोशनी बनाम विपिन और अन्य) की कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 का पति है और आवेदक संख्या 2 उसका ससुर है। आवेदकों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यदि मामले को मध्यस्थता केंद्र में भेजा जाता है तो मध्यस्थता की संभावना है। प्रतिवादी संख्या 2 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन के माध्यम से आवेदकों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें चार व्यक्तियों पर आरोप लगाते

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हुए कहा कि उसका विवाह आवेदक संख्या 1 से 28.2.2017 को संपन्न हुआ था और प्रतिवादी संख्या 2 के पिता ने विवाह में भारी रकम खर्च किया था, लेकिन आवेदक इस दहेज और पिता द्वारा किए गए खर्च से संतुष्ट नहीं थे और वे 5 लाख रुपये नकद और एक मारुति वैगन-आर कार की मांग कर रहे थे, जब मांगें पूरी नहीं की गयी तो उन्होंने शारीरिक और मानसिक यातनाएं शुरू कर दीं। उन्होंने शिकायत में आगे कहा कि उनके पति 2017 से सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे और 2019 में वापस आकर परिवार के साथ रहने लगे। आवेदकों ने बार-बार दहेज की मांग की और दहेज की मांग पूरी न होने पर उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 को उनके ससुराल से निकाल दिया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी करना न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना है और आवेदकों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

4. *इसके विपरीत*, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि शिकायत के विवरण को पढ़ने से स्पष्ट है कि आवेदकों से 5 लाख रुपये और वैगन-आर मारुति कार की मांग की गई थी। शिकायत से यह भी स्पष्ट है कि 23.12.2019 से 25.02.2020 तक विपक्षी अपने ससुराल में रही, लेकिन इस दौरान ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की, दहेज की मांग की और उसके ससुर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। ससुराल वालों ने पीड़िता को वर्ष 2020 में घर से निकाल दिया। प्रथम दृष्टया, आवेदकों के विरुद्ध अपराध बनता है।

5. आवेदकों के अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने पर, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि ससुराल वालों ने प्रतिवादी संख्या 2 के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया और दहेज की मांग की, जिसके बाद वर्ष 2020 में उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2/पीड़िता को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, आवेदकों के विरुद्ध अपराध बनता है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना और समन जारी करना उचित है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. आवेदन में दिए गए आधारों से स्पष्ट है कि उनमें से कई तथ्य के विवादित प्रश्न से संबंधित हैं। इस न्यायालय का मत है कि यह सर्वविदित है कि साक्ष्यों का मूल्यांकन विचारण न्यायालय का कार्य है। यह न्यायालय धारा 528 बीएनएसएस के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा अधिकार ग्रहण नहीं कर सकता और कानून के तहत प्रदान की गई मुकदमे की प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह भी स्पष्ट किया है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदकों के विरुद्ध आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और न्यायालय द्वारा इसे रद्द किया जाना चाहिए। पूर्व-परीक्षण चरण में धारा 528 बीएनएसएस के तहत शक्ति का प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका प्रयोग अत्यंत संयमित रूप से, केवल ऐसे उपयुक्त मामलों में ही किया जाना चाहिए, जहां स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने के विरुद्ध कोई कानूनी रोक है, या जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या आरोपपत्र में लगाए गए आरोप और उनके समर्थन में प्रस्तुत सामग्री, उनके मूल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए और उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए, अभियुक्त के विरुद्ध किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करती हैं। विवादित तथ्यों और अभियुक्त के बचाव से संबंधित प्रश्नों पर इस पूर्व-परीक्षण चरण में विचार नहीं किया जा सकता है।

7. उपरोक्त के आलोक में, आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1960 एस.सी. 866, मानिक बी. बनाम कड़ापाला श्रेयस रेड्डी और अन्य, 2023 लाइव लॉ (एससी) 642, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (सीआर.) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एससीसी (सीआर.) 192 और अंत में जंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सराफुल हक और अन्य (पैरा-10) 2005 एससीसी (सीआर.) 283 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, उपर्युक्त मामले की कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बीएनएसएस के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, क्योंकि इसमें कोई अवैधता या खामी नहीं है।

8. आवेदकों का वर्तमान 528 बीएनएसएस आवेदन उपरोक्त टिप्पणी के साथ **खारिज** किया जाता है।

20 मार्च, 2026

नितिन वर्मा

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)